न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 61/2020

वादीगणः–
1. रोशन बानु पत्नि मासुक अली, जाति रंगरेज मुसलमान
2. साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम, जाति रंगरेज मुसलमान, निवासी केरिया दरवाजा, पाली तह0 जिला पाली (राज0)।

बनाम

प्रतिवादीगणः–
1. ओंकारसिंह पुत्र जवानसिंह
2. जसवंतसिंह पुत्र जवानसिंह
3. दलपतसिंह पुत्र जवानसिह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह
5. नरपतसिंह पुत्र जवानसिंह
6. पर्वतसिह पुत्र जवानसिंह जातिगण राजपुत नि0 बागावास, तह0 सोजत जिला पाली राज0।
7. सूरज कंवर पुत्री जवानसिंह जाति राजपूत नि0 मगरतला तह0 मारवाड़ जक्शन, जिला पाली।
8. श्यामसिंह पुत्र भूरसिंह, जाति राजूपत नि0 बागावास, तह0 सोजत जिला पाली।
9. तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता मय वादीगण उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण संख्या 08 स्वयं उपस्थित।
3. तहसीलदार, सोजत स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 28/10/2021

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बागावास प0ह0 धाकड़ी तह0 सोजत के खसरा नंबर 1173/1 रकबा 3.2800 एवं 1193/1 रकबा 5.0400 है0 किस्म बारानी दौयम कुल खसरा 02 कुल रकबा 8.8600 है0 लगान 44.30 रूपये की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वर्णित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या 01 का 1/6 हक हिस्सा, वादी संख्या 02 का 1/6 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का बनता है। जिस पर वादीगण बतौर खातेदार वक्त खरीद से लेकर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का प्रत्येक का 1/21–1/21 तथा प्रति0 संख्या 8 का 1/3 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का है। वादग्रस्त कृषि भूमि का पूर्व में वादीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता एवं प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवाड़ा हो चुका है तथा सभी खातेदार मौके पर अलग अलग काबिज काश्त हो गये थे। वादीगण के प्रिन्सिपल विक्रेता द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा वक्त बेचान वादीगण को सुपुर्द कर दिया गया था। जिससे मौके पर आज भी वादीगण एवं प्रतिवादीगण अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के किया हुआ नहीं होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद होता रहता है तथा प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा अवरोध एवं

उप खण्ड अधिकारी

खलदाजी पैदा करते रहते है। पूर्व मे हुए मौखिक बंटवाडे के अनुसार वादीगण के बंट हिस्से की कृषि भूमि में वादीगण ने लाखों रूपये खर्च कर खाद व उपजाउ मिटटी डलवाकर उपजाउ बनाया है। दिनांक 23.09.2020 को वादीगण अपने बंट व हिस्से की कृषि भूमि में खड़ी फसल की अवेराई करवा रहे थे। उस समय प्रतिवादीगण ने मौके पर आकर धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद किया। उस समय वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवाने के लिए तहसील कार्यालय उपस्थित होने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने एक साथ तहसील कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की तथा बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर दिया। वादीगण के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण ने काश्त करने में बाधा, अवरोध एवं दखलअंदाजी पैदा करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादीगण ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा सरहद मौजा बागावास के ख0न0 1173/1, व 1193/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर किस्म बारानी दौयम का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया जाकर वादीगण का संयुक्त रूप हक हिस्से कृषि भूमि को अलग किया जाकर अलग से कब्जा सुपुर्द करवाये जाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा के जरिए प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 को तामिली/सूचना बावजूद बार–बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध दिनांक 08.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 08 को जारी समन जरिए रजिस्टर्ड डाक लेने से इन्कार करने पर तथा प्रतिवादी संख्या 01, 05 व 06 को जारी समनस दैनिक नवज्योति अखबार में छाया होकर बावजूद तामिल/सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से क्रमशः दिनांक 10.03.2021, 31.03.2021 तथा 14.07.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 व 05 से 08 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 14.07.2021 को हस्ब ईश्तदुआ अधिवक्ता मय वादीगण माफिक राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कब्जे अनुसार वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर मौजा बागावास के ख0न0 1173/1, व 1193/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर किस्म बारानी दौयम कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा करवाकर खाता व लगान अलग–अलग किये जाने तथा मौके पर नाप–चौप करके नेखम बन्दी एवं पत्थरगढ़ी करवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा बनाया जाकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को अधिकृत किया जाकर तहरीर मय प्राथमिक डिक्री भेजी जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/900 दिनांक 06.08.2021 द्वारा लिखा जाकर अनुपालना चाही गई।

तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2021/3747 दिनांक 14.09.2021 को प्राथमिक डिक्री मय विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा राज0 काश्त0 अधि0 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 31.08.2021 तैयार कर प्रस्तुत किया गया। माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर गौर किया गया तथा अधिवक्ता मय वादी, प्रतिवादी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली राज

ख्या 05 एवं तहसीलदार, सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 31.08.2021 तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित किया गया, का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा 31.08.2021 डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बागावास तह0 सोजत के ख0न0 1173/1, व 1193/1 कुल खसरा 02 कुल रकबा 8.8600 हैक्टर किस्म बारानी दौयम की भूमि का बंटवाड़ा/ विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	ओंकारसिंह 1/7, जसवंतसिंह 1/7, दलपतसिंह 1/7, नरेन्द्रसिंह 1/7, नरपतसिंह 1/7, पवर्तसिंह 1/7 पि0 जवानसिंह, सूरज कंवर पुत्री जवानसिंह 1/7 कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	1173/3	1.2734	बा0दो0	6.38
		1193/3	1.6600	बा0दो0	8.30
	योगः–	02	2.9334	बा0दो0	14.68
2.	रोशन बानु पत्नि मासुक अली 1/2, साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम 1/2 कौम रंगरेज मुसलमान सा0 केरीया दरवाजा पाली खातेदार	1173/1	1.2733	बा0दो0	6.36
		1193/4	1.6600	बा0दो0	8.30
	योगः–	02	2.9333	बा0दो0	14.66
3.	श्यामसिंह पुत्र भूरसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार	1173/2	1.2733	बा0दो0	6.36
		1193/5	1.6600	बा0दो0	8.30
	योगः–	2	2.9333	बा0दो0	14.66
4.	ओंकारसिंह 1/21, जसवंतसिंह 1/21, दलपतसिंह 1/21, नरेन्द्रसिंह 1/21, नरपतसिंह 1/7, पवर्तसिंह 1/7 पि0 जवानसिंह, सूरज कंवर 1/21, पुत्री जवानसिंह, श्यामसिंह पुत्र भूरसिंह 1/3 कौम राजपूत सा0 देह रोशन बानु पत्नि मासुक अली 1/6, साईना बानु पत्नि मोहम्मद सलीम 1/6 कौम रंगरेज मुसलमान सा0 केरीया दरवाजा पाली खातेदार	1193/1	0.0600	बा0दो0	0.30
	योगः–	01	0.0600	बा0दो0	0.30
	कुल योगः–	07	8.8600	बा0दो0	44.30

खसरा नंबर 1193/1 रकबा 0.0600 है0 भूमि पक्षकारानो के सार्वजनिक रास्ते के उपयोग हेतु रखी गई है का उपयोग सार्वजनिक रास्ते के प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय में प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 31.08.2021 की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 28/10/2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज